

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

ई-मेल

पत्रांक 619 / वि०का० / 2012 लखनऊ :: दिनांक : 6 सितम्बर, 2012

विषय—आवास साफ्ट का प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक।

महोदय,

अवगत कराना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत एम.आई.एस. साफ्टवेयर "आवास-साफ्ट" पर सूचनाओं के प्रेषण एवं उससे सम्बंधित कठिनाईयों के निराकरण हेतु भारत सरकार एवं एन०आई०सी० के अधिकारियों के निर्देशन में निम्न विवरण के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तत्पश्चात समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है—

स्थान :: 10वां तल जवाहर भवन, लखनऊ।	
दिनांक 24.09.2012 समय— पूर्वान्ह 10:30 बजे	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कांशीरामनगर, एटा, महामायानगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, झाँसी, जालौन, ललितपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर।
दिनांक 25.09.2012 समय— पूर्वान्ह 10:30 बजे	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, जे.पी.नगर, भीमनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत, पंचशीलनगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं खीरी।

इस बैठक में परियोजना निदेशक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षणोंपरान्त द्वितीय सत्र में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर के साथ समय से समस्त सूचनाओं सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल मर्ग)


आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक 6191/वि0का0/2012 तददिनांकित

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन के अवनोकनार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा)/कार्यक्रम/प्रशासन/लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वरि0उपायुक्त/उपायुक्त/योजनाधिकारी, उ0प्र0।
8. सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
9. नाजिर, ग्राम्य विकास को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथियों की बैठक हेतु समस्त व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।


(अनिल गर्ग)

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।